प्रकरण संख्या 4/दावा/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बउनवान

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रसादीलाल बनाम राज्य सरकार

अन्तर्गत धारा – आदेश-7 नियम-1 जा.दी

वाद इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक 18-10-2021

वादी ने वाद-घोषणा एव इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत आदेश-7 नियम-1 जा.दी. में पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि ख.स. 372 रकबा 0.24 हैक्टर ख.न. 373 रकबा 0.08 है. ख.न. 374 रकबा 0.08 है. ख.न. 375 रकबा 0.10 है. ख.न. 376 रकबा 0.12 हैक्टर ख.न. 377 रकबा 0.09 है. ख.न. 378 रकबा 0.07 है. ख.न. 379 रकबा 0.05 है. ख.न. 380 रकबा 0.06 है. ख.न. 381 रकबा 0.15 हैक्टर ख.न. 382 रकबा 0.03 है. ख.न. 383 रकबा 0.12 हैक्टर ख.न. 384 रकबा 0.12 है. ख.न. 385 रकबा 0.12 हैक्टर ख.न. 386 रकबा 0.02 है. ख.न. 387 रकबा 0.04 हैक्टर ख.न. 388 रकबा 0.03 है. ख.न. 389 रकबा 0.19 हैक्टर ख.न. 390 रकबा 0.13 हैक्टर ख.न. 392 रकबा 0.11 हैक्टर कुल खसरा किता-20 योग रकबा 1.95 हैक्टर वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार क्षेत्र मोहनपुरा तहसील लाखेरी जिला बून्दी में स्थित है। जिसके खातेदार टीनेन्ट वादी है एव काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पुरुषोत्तम पुत्र रघुनाथ दर्ज हो रहा है जबकि वादी का सही नाम प्रसादीलाल पुत्र रघुनाथ है। जिसके कारण वादी को सरकारी योजनाओ में लाभ लेने मे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि वादी सरकारी कर्मचारी अध्यापक के पद से रिटायर्ड हुआ है तथा सभी सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम प्रसादीलाल आत्मज रघुनाथ दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

और निवेदन किया कि वादी का नाम राजाव रिकार्ड मे शुद्ध किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेशकार सरकार जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र को आंशिक स्वीकार कर नाम के साथ उर्फ लगाया जाकर शुद्ध किये जाने पर सरकार पक्ष पर कोई विपरित प्रभाव नही पडने का जवाब पेश किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 आधारकार्ड, निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, ग्राम पचांयत मोहनपुरा का पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1966 का प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, एव राजस्थान सरकार का पेन्शनधारी प्रमाण पत्र की छाया प्रतिया पेश की है।

वाद पत्र को "प्रशासन गावो के संग" अभियान 2021 मे चिन्हित कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रखा गया। वादी स्वय उपस्थित आया मजमे आम मे वादी की तस्दीक करवाई गई, एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एव जवाब पेशकार सरकार को ध्यान मे रखते हुए वादी का वाद पत्र न्यायहित मे आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते

अत: वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खतौनी संख्या 47 नया व 40 पुराना की खाते भूमि कुल खसरा किता-20 योग रकबा 1.95 हैक्टर वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मे स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम पुरूषोत्तम आत्मज रघुनाथ को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर पुरूषोत्तम उर्फ प्रसादीलाल आत्मज रघुनाथ दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। तदनुसार पर्ची डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:39:09 IST
Reason: SelfAttested